[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 13th August, 2014

No. S.O.90/HA12/1999/S.24/2014.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 24 of Haryana School Education Act, 1995 (12 of 1999), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana School Education Rules, 2003, namely :—

1. These rules may be called the Haryana School Education (Amendment) Rules, 2014.

2. In the Haryana School Education Rules, 2003, in rule 142, for sub-rule (2) the following sub-rule shall be substituted, namely :—

" (2). **The manager of every aided school shall submit to the Director the details of minimum facilities being provided and the maximum fee/fund charged from the students of classes IX to XII. He shall before the commencement of each academic session, file with the department a full statement of fee and funds to be charged by such school during the ensuing academic session justifying it. The Director after satisfying himself shall specify the fee and funds to be charged from the students of classes IX to XII. No such school shall charge any fee in excess of fee/funds so approved and specified by the Director during the academic session. The fee and funds so approved by the Director shall be displayed by the school on the notice board.".**

SURINA RAJAN,

Additional Chief Secretary to Government Haryana,
School Education Department.

52557—L.R.—H.G.P., Chd.

भाग-III

हरियाणा सरकार

स्कूल शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 अगस्त, 2014

संख्या का० आ० 90/ह० अ० 12/1999/धा० 24/2014.—हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 (1999 का अधिनियम 12), की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा विद्यालय शिक्षा (संशोधन) नियम, 2014, कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 में, नियम 142 में, उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(2) **प्रत्येक सहायता प्राप्त विद्यालय का प्रबंधक न्यूनतम सुविधाएं जो प्रदान की जा रही हैं तथा कक्षा IX से XII के विद्यार्थियों से अधिकतम प्रभारित फीस/निधियों का विवरण निदेशक को प्रस्तुत करेगा। वह प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से पूर्व, आगामी शैक्षणिक सत्र के दौरान ऐसे विद्यालय द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीसों तथा निधियों का, उन्हें तर्कसंगत बनाते हुए, पूर्ण विवरण विभाग में दायर करेगा। निदेशक स्वयं को संतुष्ट करने के उपरान्त कक्षा IX से XII के विद्यार्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस तथा निधियाँ विनिर्दिष्ट करेगा। कोई भी विद्यालय शैक्षणिक सत्र के दौरान निदेशक द्वारा अनुमोदित तथा विनिर्दिष्ट फीस/निधियों से अधिक फीस प्रभारित नहीं करेगा। निदेशक द्वारा इस प्रकार अनुमोदित फीस तथा निधियाँ विद्यालय द्वारा अपने सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएंगी।**"।

सुरीना राजन,
अपर मुख्य सचिव हरियाणा सरकार,
स्कूल शिक्षा विभाग।